न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

प्र.क्रमांक III/निग/17/3573

1. कौशिल्यादेवी पत्नी कामता प्रसाद उम्र 56 वर्ष पेशा गृहकार्य
2. गोविन्द्र प्रसाद तनय केदार प्रसाद उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
3. अनसुईया प्रसाद तनय केदार राम उम्र 38 वर्ष पेशा खेती
4. त्रिवेणी प्रसाद पिता केदारराम ब्राम्हण उम्र 35 वर्ष पेशा खेती
5. उमाशंकर पिता केदारराम उम्र 30 वर्ष पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम अमलई तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म.प्र.)

—निगरानीकर्ता

बनाम

1. मु.कमला देवी पति रामस्वरूप उम्र 70 वर्ष पेशा गृहकार्य
2. मिथिलेश कुमार पिता रामस्वरूप उम्र 43 वर्ष पेशा खेती
3. कमलेश कुमार पिता रामस्वरूप उम्र 32 वर्ष पेश खेती
4. छंगा पिता रामस्वरूप ब्राम्हण उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
5. पिटान पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामसुशील ग्राम भैसरहा

अनावेदक क्र.1 ता 4 ग्राम अमिलई तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म.प्र.)

—अनावेदकगण

आवेदक क्रमांक-3 श्री अनुसुइया प्रसाद द्वारा उपस्थित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी 29-9-17

29.9.17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय सीधी जिला सीधी म.प्र. के राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक 291/2008-09 आदेश दिनांक 28.08.17 वाका ग्राम अमलई आराजी नम्बर 125 रकवा 0.24 हेक्टेयर के संबंध में

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.1959

मान्यवर,

आवेदक / निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :—

1 यह कि भूमि खसरा क्रमांक 125 रकवा 0.24 हेक्टेयर अधिकार अभिलेख के अनुसार वर्ष 1991—92 में स्व. केदार प्रसाद पिता रामसुन्दर, सुकवरिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/3573 जिला–सीधी

श्रीमती कौशलिया देवी/ कमला देवी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 291/निगरानी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 28.08.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेन्द्र चौधरी), सदस्य	